न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 132/2019
अन्तर्गत धारा 53 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. महेश साहू पुत्र श्री राजेश कुमार जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. मोहित साहू पुत्र श्री राजेश कुमार जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

.......वादीगण

बनाम

1. सुलतान सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राजेश कुमार पुत्र श्री सुलतान सिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. कमलेश जाखड़ पुत्री श्री सुलतान सिंह पत्नी श्री देवी लाल जाखड़ जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. श्रीमती सरोज जाखड़ पुत्री श्री सुलतान सिंह पत्नी श्री महावीर प्रसाद जाखड जाति जाट निवासी मकान नम्बर 21, महावीर इन्टरनैशनल कालोनी, श्रीगंगानगर
5. श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री श्री सुलतान सिंह पत्नी श्री ओमप्रकाश सहारण जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 19, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
6. श्रीमती रेशमी देवी पत्नी श्री सुलतान सिंह जाति जाट निवासी साहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

.....प्रतिवादीगण

–:: उपस्थिति अभिभाषक ::–

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा	(वादी–1 व 2)
	अधिवक्ता श्री रोबित गुम्बर	(प्रतिवादी–1 ता 6)
	पैरोकार राज (प्रति.–7)	

दिनांक 05.01.2021

– निर्णय –

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का दादा, प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण का पिता तथा प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 5 वादीगण की भुआगण व प्रतिवादिया संख्या 6 वादीगण की दादी हैं। वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 सुलतान सिंह के नाम से वाके चक 4 एफ छोटी पटवार हल्का साहूवाला भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 107/92 (मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074) का मुरब्बा नम्बर 25, 34, 48 की कुल 11.132 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है। जो कि प्रतिवादी संख्या को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति जद्दी जायदाद होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक बनता है। मगर प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 उक्त भूमि मे से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं तथा उन्होने अपने हक का परित्याग वादीगण के पक्ष

उपखण्ड अधिकारी

में किया हुआ है। यह कि चूंकि उक्त भूमि में वादीगण का जन्म से हक वा हिस्सा बनता है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त पैतृक भूमि का मौखिक रूप से घरू बंटवारा करके वादीगण को उनके हक वा हिस्सा की भूमि दी हुई है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी संख्या 1 महेश साहू को चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 107/92 का मुरब्बा नम्बर 25 का किला नम्बर 25(0.063) कुल 0.064 हैक्टेयर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 34 का किला नम्बर 16 ता 20(प्रत्येक 0.253) कुल 1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 48 का किला नम्बर 6/2(0.126), 7(0.253), 8(0.127), 13/2(0.126), 14(0.253), 15(0.253), 16(0.253), 17(0.253), 18/2 (0.127), 23/2(0.126), 24(0.253), 25(0.253) कुल 2.403 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 3.732 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्तशुदा है तथा वादी संख्या 2 मोहित साहू को चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 107/92 का मुरब्बा नम्बर 25 का किला नम्बर 25(0.063) कुल 0.063 हैक्टेयर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 34 का किला नम्बर 21 ता 24(प्रत्येक 0.253) कुल 1.012 हैक्टेयर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 48 का किला नम्बर 8/1(0.126), 9(0.253), 10/2(0.127), 11(0.253), 12(0.253), 13/1(0. 127), 18/1(0.126), 19(0.253), 20(0.253), 21(0.253), 22(0.253), 23/1(0.127) कुल 2.404 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 3.479 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्तशुदा है। जिस पर वादीगण अपने अपने हिस्सा अनुसार पिछले काफी समय से काबिज चले आ रहें हैं तथा काश्त कर रहें है तथा मौका पर वादीगण की फसले खड़ी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण से कहा हुआ है कि जब भी तुम लोग चाहोगें, तुम्हारे हिस्सा की भूमि तुम्हारे नाम करवा दूंगा। 4. यह कि कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 10.08.2020 को उन्होने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादीगण के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है। वादीगण द्वारा वाद निम्न प्रकार से डिकी किये जाने का निवेदन किया –

(1) यह कि पैतृक भूमि, जो वाद पत्र में वर्णित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, में से वादीगण को उनके हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित किया जावे।

(2) यह कि डिक्री खाता विभाजन की जारी की जाकर वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार भूमि वादीगण के नाम से किलावाईज दर्ज करवाई जावे तथा अलग खाता कायम किया जावे।

(3) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी 1 ता 6 द्वारा इकबाल दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार यह सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का दादा, प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण का पिता तथा प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 5 वादीगण की भुआगण व प्रतिवादिया संख्या 6 वादीगण की दादी हैं। वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 सुलतान सिंह के नाम से वाके चक 4 एफ छोटी पटवार हल्का साहूवाला भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 107/92 (मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074) का मुरब्बा नम्बर 25, 34, 48 की कुल 11.132 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है। जो कि प्रतिवादी को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति जद्दी जायदाद होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक बनता है। मगर प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 उक्त भूमि मे से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं तथा उन्होंने अपने हक का परित्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है। यह सही हैं

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

कि उक्त भूमि में वादीगण का जन्म से हकं वा हिस्सा बनता है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त पैतृक भूमि का मौखिक रूप से घरू बंटवारा करके वादीगण को उनके हक वा हिस्सा की भूमि दी हुई है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी संख्या 1 महेश साहू को चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 107/92 का मुरब्बा नम्बर 25 का किला नम्बर 25(0.063) कुल 0.064 हैक्टेयर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 34 का किला नम्बर 16 ता 20(प्रत्येक 0.253) कुल 1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 48 का किला नम्बर 6/2(0.126), 7(0.253), 8(0.127), 13/2 (0.126), 14(0.253). 15(0.253). 16(0.253), 17 (0.253). 18/2(0.127), 23/2(0.126), 24(0.253), 25(0.253) कुल 2.403 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 3.732 हैक्टेयर कृषि भूमि दी हुई है तथा वादी संख्या 2 मोहित साहू को चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 107/92 का मुरब्बा नम्बर 25 का किला नम्बर 25(0.063) कुल 0.063 हैक्टेयर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 34 का किला नम्बर 21 ता 24(प्रत्येक 0.253) कुल 1.012 हैक्टेयर कृषि भमि व मरब्बा नम्बर 48 का किला न0 8/1(0.126), 9(0.253) 10/2(0.127), 11(0.253), 12(0.253), 13/1(0.127), 18/1(0.126), 19 (0.253). 20(0.253), 21(0.253), 22(0.253), 23/1(0.127) कुल 2.404 है0 कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 3.479 है0 कृषि भूमि दी हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 की ऐसी मंशा नहीं थी कि वह वादीगण को उनके हिस्सा की भूमि ना दे, मगर कोरोना महामारी के चलते प्रतिवादी संख्या 1 ने शहर आकर कार्यवाही करने से इन्कार किया था। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित अनुसार भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादीगण के नाम से अमल दरामद की जाकर अलग खाता कायम किया जावे। इसमें प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से सहमत हैं।

तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया।

बहस वकील उभ्यपक्ष की सुनी गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपसी के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 4 एफ छोटी पटवार हल्का साहुवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र बुर्जवाली खाता संख्या 107/92 पेश की। वादी द्वारा विरास्तन इन्तकाल सम्बन्धी जमाबंदी सम्वत 2006 ग्राम 4 एफ छोटी खाता संख्या 3/10, जमाबंदी सम्वत 2006 ग्राम 4 एफ छोटी खाता संख्या 4/11, जमाबंदी सम्वत 2011–2014 ग्राम 4 एफ छोटी खाता संख्या 6/13, जमाबंदी सम्वत 2011–2015 ग्राम 4 एफ छोटी खाता संख्या 6/13 की प्रतियां पेश की। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी पैतृक सिद्ध होती है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	रकबा का विवरण
1	महेश साहू पुत्र श्री राजेश कुमार जाति जाट निवासी साहूवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर	चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 107/92 का मुरब्बा नम्बर 25 का किला नम्बर 25(0.063) कुल 0.064 हैक्टेयर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 34 का किला नम्बर 16 ता 20(प्रत्येक 0.253) कुल 1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 48 का किला नम्बर 6/2(0.126), 7(0.253), 8(0.127), 13/2(0.126), 14(0.253). 15(0.253). 16(0.253), 17(0.253). 18/2(0.127), 23/2(0.126), 24(0.253), 25(0.253) कुल 2.403 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 3.732 हैक्टेयर कृषि भूमि
2	मोहित साहू पुत्र श्री	चक 4 एफ छोटी का खाता संख्या 107/92 का मुरब्बा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

	राजेश कुमार जाति जाट निवासी साहूवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर	25 का किला नम्बर 25(0.063) कुल 0.063 हैक्टेयर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 34 का किला नम्बर 21 ता 24(प्रत्येक 0.253) कुल 1.012 हैक्टेयर कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 48 का किला न0 8/1(0.126), 9(0.253) 10/2(0.127), 11(0.253), 12(0.253), 13/1(0.127), 18/1(0.126), 19(0.253), 20(0.253), 21(0.253), 22(0.253), 23/1(0.127) कुल 2.404 हैक्टर कृषि भूमि

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे एवम् उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिंनाक 05.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner